

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी दीन दयाल कटारिया पुत्र ज्ञान चंद जाति अरोडा निवासी 2278 अग्रसैन नगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. चप्रूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान राज कुमार अरोडा पुत्र शंकर लाल अरोडा एवं मोहित कटारिया पुत्र दीन दयाल कटारिया की पहचान अधिवक्ता श्रीमती कंवलजीत कौर अरोडा द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021 / 211

k